

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./83/2008/ 243

भोपाल, दिनांक 27/9/08

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती संध्या मिश्रा अध्यापक (विज्ञान) शा. पूर्व मावि चौहना जिला-रीवा	जिला पंचायत रीवा जिला-रीवा जा.क्र.3168, दि.25.07.08	नगर पालिक निगम सिंगरौली जिला-सिंगरौली जा.क्र.3538, दि. 23.09.08 शा. उमावि जयन्त शा. पूर्व मावि दुधीचुआं शा. पूर्व मावि इटमा
2	श्रीमती अर्चना दुबे अध्यापक शा. मावि हरि.का.रामगढ़ जिला-ग्वालियर	जनपद पंचायत डबरा जिला-ग्वालियर जा.क्र.2088, दि.10.09.08	जनपद पंचायत दतिया जिला-दतिया जा.क्र.1454, दि. 08.09.08 शा. हाईस्कूल ऐरई शा. मावि रामसागर शा. मावि गोविन्दपुर
3	श्रीमती प्रगति बोरकर सहायक अध्यापक शा. क. प्रावि समसवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा	जनपद पंचायत चौरई जिला-छिन्दवाड़ा जा.क्र.693, दि.10.09.08	जनपद पंचायत सिवनी जिला-सिवनी जा.क्र.419, दि. 25.09.08 शा. प्रावि बम्होडी
4	श्रीमती राशि परिहार अध्यापक शा. उमावि जीवाजीगंज जिला-उज्जैन	नगर पालिका निगम उज्जैन जिला-उज्जैन जा.क्र.3939, दि.12.07.04 (अनापत्ति प्रमाण-पत्र मान्य होने पर)	नगर पालिक निगम इन्दौर जिला-इन्दौर जा.क्र.1029-जीए दि. 24.09.08 शा. हाईस्कूल अत्रीदेव सुदामानगर
5	श्री भूपेन्द्रसिंह बागरी (विकलांग) सहायक अध्यापक शा. मावि तिदुनहाई जिला-पन्ना	जनपद पंचायत गुनौर जिला-पन्ना जा.क्र.728, दि.14.07.08	जनपद पंचायत सोहावल जिला-सतना जा.क्र.733, दि. 15.07.08 शा. मावि शेरगंज शा. मावि देवरा शा. मावि रेवरा

6	श्रीमती अन्नू अहिरवार सहायक अध्यापक शा. प्रावि लार बंजरया जिला-टीकमगढ़	जनपद पंचायत टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ जा.क्र. 8328,दि.02.09.08	जनपद पंचायत नौगांव जिला-छतरपुर जा.क्र. निरंक, दि. 11.08.08 शा. क.प्रावि करारा शा. प्रावि नालापार शा. मावि भदेसर
7	श्रीमती शोभाराज बुन्देला अध्यापक शा. मावि मृगावली जिला-सागर	जनपद पंचायत मालथौन जिला-सागर जा.क्र.758,दि.16.07.08	जनपद पंचायत खनियॉधाना जिला-शिवपुरी जा.क्र.1194,दि.18.07.08 शा. मावि बघाटी शा. मावि बामौरखुर्द शा. मावि अमरपुरदेवारा

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही कार्यरत निकाय द्वारा कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



27/9/08
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./83/2008/ 244
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27/9/08

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 3. संबंधित जिला-कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 4. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
 5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 6. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मध्यप्रदेश।
 7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


27/9/08
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश